पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

विविध अपील सं. 584/2013

==========

1. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसके शाखा प्रबंधक, बोलपुर, शांति केकेतन, टूरिस्ट लॉज रोड, बोलपुर अनु-मंडल कार्यालय के सामने, बस स्टैंड के पास, पोस्ट/थाना बोलपुर, जिला-बीरभूम (पश्चिम बंगाल) के माध्यम से,

2. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, सूरी, इसके शाखा प्रबंधक, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, पोस्ट/थाना सूरी, जिला बीरभूम, पश्चिम बंगाल के माध्यम से

3. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, भागलपुर, अपने शाखा प्रबंधक, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, डॉ. राजेंद्र प्रसाद रोड, भागलपुर, + पोस्ट + थाना + जिला भागलपुर, बिहार में के माध्यम से।

4. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, भागलपुर, अपने प्रभागीय प्रबंधक, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, डॉ. राजेंद्र प्रसाद रोड, भागलपुर, + पोस्ट + थाना + जिला भागलपुर, बिहार में, के माध्यम से।

5. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, पटना, अपने क्षेत्रीय प्रबंधक, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, चाणक्य कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आर-ब्लॉक, पटना के माध्यम से। प्रबंधक और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, तीसरी मंजिल, चाणक्य टावर्स, आर-ब्लॉक, पटना के माध्यम से अपील और अपीलकर्ता।

.....अपीलकर्ता/गण

बनाम्

1. नीतू कुमारी पति - रामचंद्र प्रसाद भगत

2. अविनाश कुमार पिता रामचंद्र प्रसाद भगत (प्रत्यर्थी 2 नाबालिग है और प्राकृतिक संरक्षक माँ, प्रत्यर्थी1 के अधीन है)। उपरोक्त सभी ग्राम जमुई बाज़ार (पुरानी बाज़ार), पोस्ट/थाना/जिला-जमुई के निवासी हैं।

3. रंजन डे पिता-स्वर्गीय रामकृष्ण डे (7 वीं) सातवीं पल्ली, पोस्ट/थाना। बोलपुर, जिलाबीरभूम बेस्ट बंगाल (वाहन का मालिक सह चालक) गाँव के निवासी।

.....उत्तरदाता/गण

==========

मोटर वाहन अधिनियम, 1988-धारा 140-दुर्घटना की तारीख को कवर करने वाली अवधि के लिए वैध रूप से बीमित वाहन-मालिक-सह-चालक द्वारा संचालित वाहन-चालक के पास मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि चलाने का अनुज्ञप्ति थी, न कि टाटा सूमो जैसे हल्के मोटर वाहन-"कोई गलती नहीं" सिद्धांत पर विज्ञापन अंतरिम मुआवजे का अनुदान-चालक पंजीकृत मालिक का बेटा था-मुआवजे के लिए बीमा पॉलिसी के तहत मुफ्त यात्री का कवरेज।

अभिनिर्धारित किया गयाःमुआवजे का भुगतान करने का दायित्व और कोई गलती नहीं के सिद्धांत के आधार पर मुआवजा प्राप्त करने का हक-"कोई गलती नहीं" शब्द में बिना किसी नुकसान के यात्री-मुआवजे का हकदार दावेदार शामिल है-रजिस्ट्री को दावेदार के नाम पर दावा मामला दायर करने के समय जमा की गई राशि को वापस करने का निर्देश दिया जाता है।

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

विविध अपील सं. 584/2013

==========

1. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसके शाखा प्रबंधक, बोलपुर, शांति केकेतन, टूरिस्ट लॉज रोड, बोलपुर अनु-मंडल कार्यालय के सामने, बस स्टैंड के पास, पोस्ट/थाना बोलपुर, जिला-बीरभूम (पश्चिम बंगाल) के माध्यम से,

2. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, सूरी, इसके शाखा प्रबंधक, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, पोस्ट/थाना सूरी, जिला बीरभूम, पश्चिम बंगाल के माध्यम से

3. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, भागलपुर, अपने शाखा प्रबंधक, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, डॉ. राजेंद्र प्रसाद रोड, भागलपुर, + पोस्ट + थाना + जिला भागलपुर, बिहार में के माध्यम से।

4. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, भागलपुर, अपने प्रभागीय प्रबंधक, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, डॉ. राजेंद्र प्रसाद रोड, भागलपुर, + पोस्ट + थाना + जिला भागलपुर, बिहार में, के माध्यम से।

5. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, पटना, अपने क्षेत्रीय प्रबंधक, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, चाणक्य कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आर-ब्लॉक, पटना के माध्यम से। प्रबंधक और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, तीसरी मंजिल, चाणक्य टावर्स, आर-ब्लॉक, पटना के माध्यम से अपील और अपीलकर्ता।

.....अपीलकर्ता/गण

बनाम्

1. नीतू कुमारी पति - रामचंद्र प्रसाद भगत

2. अविनाश कुमार पिता रामचंद्र प्रसाद भगत (प्रत्यर्थी 2 नाबालिग है और प्राकृतिक संरक्षक माँ, प्रत्यर्थी1 के अधीन है)। उपरोक्त सभी ग्राम जमुई बाज़ार (पुरानी बाज़ार), पोस्ट/थाना/जिला-जमुई के निवासी हैं।

3. रंजन डे पिता-स्वर्गीय रामकृष्ण डे (7 वीं) सातवीं पल्ली, पोस्ट/थाना। बोलपुर, जिलाबीरभूम बेस्ट बंगाल (वाहन का मालिक सह चालक) गाँव के निवासी।

.....उत्तरदाता/गण

==========

उपस्थिति:

अपीलार्थी/गण की ओर से : श्री दुर्गेश कुमार सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/गण की ओर से : कोई नहीं

==========

गणपूर्ति: माननीय न्यायमूर्ति श्री बीरेंद्र कुमार

मौखिक निर्णय

दिनांक: 04-02-2019

अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। नोटिस की सेवा के बावजूद दावेदारों (प्रतिवादी सं.1 और 2) या मालिक(प्रतिवादी सं. 3) की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

2. दावा कांड सं. 1/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.06.2013 द्वारा, तदर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-चतुर्थ-सह-एम.ए.सी.टी. जमुई ने सड़क दुर्घटना के शिकार श्री आशीष कुमार भगत के आश्रितों को 50,000/-(पचास हजार रुपये) प्रदान किया है।

3. इस मामले का तथ्य यह है कि मृतक और अन्य लोग पश्चिम बंगाल के बोलपुर से तारापीठ तक पंजीकरण सं. WB-54B/8526 वाले टाटा सुमो पर यात्रा कर रहे थे। वाहन के चालक ने नियंत्रण खो दिया और वाहन एक दुर्घटना का शिकार हो गया जिसमें उसी में यात्रा कर रहे आशीष कुमार भगत की मृत्यु हो गई। उपरोक्त घटना के लिए का सिउदी थाना कांड सं. 307/2011 दर्ज किया गया था। न्यायाधिकरण ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 140 के तहत अनुरोध को स्वीकार करते हुए पाया कि वाहन का दुर्घटना की तारीख को कवर करने वाली अवधि के लिए वैध रूप से बीमा किया गया था। वाहन को न्यायाधिकरण के समक्ष विरोधी पक्ष संख्या 2 के मालिक-सह-चालक रंजन डे द्वारा चलाया जा रहा था। प्रार्थना का इस आधार पर विरोध किया गया कि चालक के पास केवल मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि चलाने का लाइसेंस था, न कि हल्के मोटर वाहन चलाने का।

4. न्यायाधिकरण ने कहा कि इस तरह की तकनीकीताएं अंतरिम मुआवजे के अनुदान के रास्ते में नहीं आ सकती हैं, जो सिर्फ "कोई गलती नहीं" सिद्धांत पर है और एक लाभकारी कानून का हिस्सा है।

5. बीमाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि वाहन का पंजीकृत मालिक न्यायाधिकरण के समक्ष एक आवश्यक पक्ष था, लेकिन उसे पक्षकार नहीं बनाया गया था और बीमा कंपनी का तर्क है कि रंजन डे वाहन के मालिक नहीं थे, बल्कि वह पंजीकृत मालिक के पुत्र थे। आगे तर्क यह है कि बीमा पॉलिसी एक अधिनियम पॉलिसी थी। इसलिए, इसमें आनुग्राहिक यात्री का मामला शामिल नहीं था। मृतक वाहन में आनुग्राहिक यात्री था और वह कोई मुआवजा प्राप्त करने का हकदार नहीं था।

6. विद्वान वकील ने अपने इस तर्क के समर्थन में कई निर्णयों का हवाला दिया है कि आनुग्राहिक यात्रियों को मुआवजा नहीं मिल सकता है।

7. चूंकि, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 140 के तहत मुआवजे का भुगतान करने का दायित्व और मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार कोई गलती(नो फॉल्ट) नहीं के सिद्धांत पर आधारित है। इसलिए, यह बचाव के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि चूंकि मृतक एक आनुग्राहिक यात्री था, इसलिए दावेदार को कोई गलती नहीं होने के सिद्धांत पर देय 50,000/-रुपये नहीं मिल सकता है। शब्द "कोई गलती नहीं" इसके अंतर्गत आनुग्राहिक यात्री को शामिल करता है। पीड़ित की एकमात्र गलती यह है कि वह एक आनुग्राहिक यात्री था और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 140 के तहत आवेदन पर विचार करते समय इस गलती पर विचार नहीं किया जा सकता है। तथापि, हालाँकि अपीलार्थी मुख्य दावा याचिका के निर्णय के समय, यदि दायर की जाती है या भविष्य में आता है, बचाव करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

8. रजिस्ट्री को दावेदारों को भुगतान के लिए चेक के माध्यम से दावेदारों में से किसी एक के नाम पर दावा कांड दायर करने के समय जमा की गई राशि को वापस करने का निर्देश दिया जाता है।

9. उपरोक्त अवलोकन के साथ, यह अपील खारिज की जाती है।

(बीरेंद्र कुमार, न्यायमूर्ति)

एमकेआर/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।